

न्यायालय :- माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय - बैहर

S.T./02/2017

Filling No. ST/ 46/2017

CNR MP50050001462017

संस्थित दिनांक- 28.03.2016

म0प्र0 शासन द्वारा :- आरक्षी केन्द्र-गढ़ी
जिला बालाघाट

- - - - - अभियोजन ।

// विरुद्ध //

धनसिंग पिता लालसिंग मरकाम उम्र 40 वर्ष
निवासी-सालीवाड़ा थाना मोतीनाला जिला मण्डला - - अभियुक्त ।

=====

श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. वास्ते अभियोजन ।

श्री हेमेन्द्र बिसेन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-धनसिंग

=====

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक 21 फरवरी 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त धनसिंग पर आरोप है कि उसने दिनांक 18.01.2016 की शाम करीब 07:00 बजे अंतर्गत थाना गढ़ी जिला बालाघाट ग्राम खिरसाड़ी का जंगल, बैहर में फरियादी रामकुमार की बुआ जगोतिनबाई प्रति बैजूसिंह धुर्वे की सम्मति के बिना उसके साथ इंद्रिय भोग गठित कर बलात्संग किया तथा जगोतिनबाई का गला दबाकर, गुप्तांग में पत्थर डालकर साशय हत्या कारित की तथा यह जानते हुए की जगोतिनबाई के साथ हत्या सहित बलात्कार का मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध है, के वैध दण्ड से स्वयं को प्रतिच्छादित करने के आशय से उक्त मृतिका के शव को नाले के पास छिपाकर, अपने पेंट को अपने घर के सार (कोठा) में छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया। जो धारा 376

(1), 302, 376 (क), 376 (क) सहपठित धारा 201 भा.द.वि. के अधीन दण्डनीय अपराध है, का विचारण किया गया है।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि निलेश परतेती (अ.सा.11) का कहना है कि प्र.पी. 21 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 21.01.2016 को 16:37 बजे रामकुमार पिता देवसिंग धुर्वे बिल्डिंग मोहल्ला थाना मोतीनाला जिला मण्डला ने थाना गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट उपस्थित होकर मार्ग सूचना लेख कराई कि दिनांक 18.01.16 को शाम करीब 4:00 बजे बुआ जगोतिनबाई पति बैजुसिंह उम्र 42 वर्ष साकिन बिल्डिंग मोहल्ला थाना मोतीनाला सब्जी लेने ग्राम खिरसाड़ी गई थी। घर वापस न आने पर दिनांक 20.01.16 को पता करने वह खिरसाड़ी गया था। जिसके यहाँ वह सब्जी लेने गई थी उसने बताया कि उसी दिन वापस चली गई है। रिश्तेदारी में पता किया, नहीं पता चला। जंगल में खोजबीन किया तब खिरसाड़ी के जंगल किनारे नाले के पास मृत अवस्था में पड़ी मिली है। उसके पास थैले में सब्जी भाजी रखी है। उक्त आधार पर मार्ग क्रमांक 2/16 धारा 174 द0प्र0सं0 के अधीन लेख कर मौके पर जाकर धारा 175 द.प्र.सं0 का नोटिस साक्षियों को देकर नक्शा पंचायतनामा बनाया गया। घटनास्थल से मिली वस्तुएं जप्त 18:00 बजे एवं 18:30 बजे की गई। घटनास्थल का नक्शा बनाया गया। आवेदन लेख कर, भेजकर शव परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21.01.2016 को 17:51 बजे प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 7/16 धारा 376, 302 भा.द.वि. के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायमी की गई।

4. कायमी पश्चात् साक्षीगण के कथन कराए गए, नक्शामौका बनाया गया, पटवारी के द्वारा नजरीनक्शा तैयार करवाया गया है, अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया, मेमोरेण्डम कथन लेख कर जप्ती कार्यवाही की गई, उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया, गिरफ्तारी की सूचना दी गई, जप्त संपत्तियां परीक्षण हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से एफ.एस.एल. सागर भेजी गई, परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की गई, पश्चात् अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

5. अभियुक्त को श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बालाघाट द्वारा धारा 376(1), 302, 376 (क), 376(क) सहपठित धारा 201 भा.द.वि. के तहत आरोप तैयार कर पढ़कर, सुनाए, समझाए जाने पर अभियुक्त ने आरोप सुन, समझकर अपराध करना अस्वीकार किया, उसका अभिवाक् लेख किया गया। अभियुक्त ने धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना, झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

1- क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.01.2016 की शाम करीब 07:00 बजे अंतर्गत थाना गढ़ी जिला बालाघाट के ग्राम खिरसाड़ी के जंगल, तहसील बैहर में फरियादी रामकुमार की बुआ जगोतिनबाई पति बैजूसिंह धुर्वे की सम्मति के बिना उसके साथ इंद्रिय भोग गठित कर बलात्संग किया, उसके गुप्तांग में पत्थर डालकर, गला दबाकर साशय हत्या कारित की ?

2- क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर यह जानते हुए की जगोतिनबाई के साथ बलात्कार कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या की, जो मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध है, के वैध दण्ड से स्वयं को प्रतिच्छादित करने के आशय से उक्त मृत्तिका के शव को नाले के पास छिपाकर, अपने पेंट को अपने घर के सार (कोठा) में छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

7. रामकुमार धुर्वे (अ.सा.1) फरियादी ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित आरोपी को पहचानता है। मृत्तिका को जानता है जो साक्षी की बुआ थी। दिनांक 18.01.2016 को साक्षी की बुआ मृत्तिका घर से बताए बिना

कहीं चली गई थी। आसपास तलाश की नहीं मिली। दिनांक 21.01.16 को सुबह साक्षी की बुआ मृतिक जगोतिनबाई की लाश उसकी बेटी सीमा को ग्राम खिरसाड़ी के जंगल में मिली थी। साक्षी ने बाद में जाकर मृतिका की लाश देखी थी। मृतिका की लाश नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था। पद क्रमांक 2 में साक्षी दी है कि साक्षी ने पुलिस थाना गढी जाकर जगोतिनबाई की मृत्यु की सूचना दी थी। मार्ग सूचना प्र.पी. 1 की पुलिस ने दर्ज की थी जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

8. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि मार्ग सूचना के आधार पर अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण धारा 174 जा.फौ. के अधीन प्र.पी. 2 का लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पुलिस वाले घटनास्थल पर आए थे। उन्होंने प्र.पी. 3 का नोटिस उपस्थित होने के लिए दिया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने लाश का पंचनामा प्र.पी. 4 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने बयान लिया था। जगोतिनबाई की मृत्यु गला घोटने से हुई थी।

9. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 3 के अंत में कथन किया है कि जगोतिनबाई को आरोपी द्वारा जान से खतम किया गया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि जगोतिनबाई का गला दबाते हुए साक्षी ने उपस्थित अभियुक्त को नहीं देखा था। पद क्रमांक 5 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मृतिका के परिवार के किसी व्यक्ति या गांव के किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि उपस्थित आरोपी ने जगोतिनबाई को गला दबाकर मारा है। घटना के बारे में किसी व्यक्ति ने साक्षी को कुछ नहीं बताया था।

10. शैलूबाई (अ.सा.2) ने कथन किया है कि उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानती है। जगोतिनबाई साक्षी की सगी बड़ी बहन थी जिसकी मृत्यु

दिनांक 18.01.16 को हो गई है। जगोतिनबाई को कमलाबाई ने उसके घर ग्राम मोतीनाला से 18.01.16 को ग्राम खिरसाडी शाम 04:30 बजे लेकर गई थी। जगोतिनबाई दो दिन तक वापस नहीं आयी तब उसकी खोजखबर की। जगोतिनबाई कहों गई है, कमला से पूछने पर उसने बताया कि उसने जगोतिनबाई को भेज दी है। कमलाबाई ने यह भी बताया कि सालीवाड़ा का लड़का, संतरीबाई, कमलाबाई ने दारू पिए थे और सालीवाड़ा के लड़के के साथ निकल गई है। लड़के का नाम पूछने पर कमला व संतरी ने उसका नाम धनसिंग बताया था। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि धनसिंग के पास जाकर साक्षी व उसके साथ के लोगों ने पूछा कि जगोतिनबाई के साथ तुम गये थे तो उसने साथ जाने से मना किया था। जगोतिनबाई को ढूँढा किंतु वह नहीं मिली।

11. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि जगोतिनबाई की लड़की सीमा को फोन करके बुलाया था फिर वह आयी, लड़की को नाले में लाश दिखी थी फिर रिपोर्ट करने थाने गये थे। साक्षी ने जगोतिनबाई का शव देखा था, शरीर पर कपड़ा नहीं था, उसकी गर्दन टूट गई थी, उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने प्र.पी. 3 का नोटिस दिया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने शव पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने लाश को नाले के बाहर निकालकर साफ जमीन पर रखा था। उसका शरीर पलटकर देखा था। जगोतिनबाई के दोनों पैर पकड़कर चीर-फाड़ दिया था। जगोतिनबाई के साथ बलात्कार हुआ था। उसके गुप्तांग में पत्थर डाल दिया था।

12. प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने घटना होते नहीं देखी। कमलाबाई ने सही बताई थी या नहीं निश्चित नहीं कह सकती। संतरीबाई और

कमलाबाई साक्षी से झूठ बोलती थी। उन्होंने यह झूठ बोला था कि 5:00 बजे भेज दिया था। वह नहीं कह सकती कि संतरीबाई और कमलाबाई ने उपस्थित अभियुक्त के साथ जगोतिनबाई गई है यह सही बताया था या गलत बताया था। पुलिस ने साक्षी के समक्ष आरोपी धनसिंग से पूछताछ नहीं की थी। पद क्रमांक 5 में कथन किया है कि वह अभियुक्त धनसिंग द्वारा कारित किया जाना इसलिए कहती है क्योंकि अभियुक्त ने थाने वालों को बताया था कि उसने घटना की है किंतु उस समय साक्षी थाने में नहीं थी। अभियुक्त ने थाने में घटना बताई थी उसके पहले पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया था और थाने ले गई थी, 22 तारीख को थाने में जब गांव वालों के साथ गई थी तब खुद अभियुक्त बोला था कि उसने जगोतिनबाई को मार डाला है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6 में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। यदि पुलिस ने प्र.डी. 2 का बयान अभिलेख पर पेश किया हो तो वह साक्षी के बताए बिना लिखा हुआ है।

13. कमलाबाई (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि उपस्थित आरोपी को नहीं जानती है। मृतिका को जानती है, जगोतिनबाई की मृत्यु हो गई है। सोमवार दिन अगन महीने में जगोतिनबाई ने कहा था कि उसे सब्जी चाहिए तब साक्षी ने कहा कि चलो तब साक्षी ने उसे अपने घर से सब्जी दी थी। फिर साक्षी के घर से निकलकर वह संतरीबाई के घर बैठी थी, साक्षी भी वहाँ गई थी। संतरिनबाई के घर जगोतिनबाई, संतरिनबाई और एक लड़का बैठा था उसे नहीं पहचानती। संतरिनबाई ने बताया था कि वह लड़का सालेवाड़ा का है। उसके बाद साक्षी अपने घर चली गई। जगोतिनबाई की मृत्यु कैसे हुई जानकारी नहीं है। बाद में पता चला कि जगोतिनबाई को किसी ने मार डाला है, किसने मारा पता नहीं चला।

14. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 के अंत में कथन किया है कि वहाँ भीड़ में लोग बोल रहे थे जगोतिनबाई को धनसिंग नामक व्यक्ति ने मारा है। प्रतिपरीक्षण में पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि पुलिस बयान प्र.डी. 3 का अ से अ भाग का कथन “ तब संतरीबाई — — — खतम कर दिया ” का बयान पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसके घर कोई पुरुष नहीं आया था।

15. संतरीबाई (अ.सा.4) ने कथन किया है कि आरोपी को थोड़ा-थोड़ा जानती है। जगोतिनबाई की पहचानती है। उसकी मृत्यु कैसे हुई नहीं मालूम। वह छिन्दी काटने गई थी। शाम 4:00 बजे छिन्दी काटकर वापस आयी और छिन्दी का गट्ठा अपने आंगन में पटक दिया था। थोड़ी देर बाद कमलाबाई के साथ जगोतिनबाई के साथ साक्षी के घर आयी थी। थोड़ी देर आंगन में बैठी बातचीत की। उनके पीछे आरोपी धनसिंग आया। उसने एक ग्लास पानी मांगा, साक्षी ने पानी दिया। पानी पीकर वह थोड़ी देर साक्षी के आंगन में बैठा। कमलाबाई पहले उठकर गई उसके बाद जगोतिनबाई और धनसिंग आगे-पीछे, आगे-पीछे चले गये, रास्ते की बात वह नहीं जानती। जैसा आज बताया है वैसा ही पुलिस को बताया था।

16. तीसरे-चौथे दिन पता चला कि जगोतिनबाई खतम हो गई है। मारने वाले का नाम पता नहीं चला था। प्रतिपरीक्षण में पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय प्र.डी. 4 का ए से ए भाग का कथन “ रिश्ते में मुझे — — — शराब पिए ” नहीं बताया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। पुलिस कथन प्र.डी. 4 का बी से बी भाग का कथन “ तब मैंने — — — तैयार हो गया ” पुलिस को नहीं दिया था। कैसे लिखा कारण नहीं बता सकती। प्र.डी. 4 का सी से सी भाग का कथन “

जगोतिनबाई - - - दिया गया " का नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकती। पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि जगोतिनबाई और उपस्थित आरोपी साक्षी के घर से साथ-साथ नहीं गये थे। स्वतः कहा थोड़ी-थोड़ी देर बाद आगे-पीछे गये थे।

17. सुश्री सुनीता (अ.सा.5) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को नहीं पहचानती। मृतिका जगोतिनबाई को पहचानती है। ग्राम मोतीनाला की रहने वाली थी। दिनांक 18.01.16 को जगोतिनबाई की मृत्यु हो गई। जगोतिनबाई 18.01.16 को गुम हुई थी। उसके परिवार के लोगों ने पतासाजी की, नहीं मिली। दिनांक 22.01.16 को उसकी लाश मिली थी। जगोतिनबाई को रेतकर मार दिये थे। जगोतिनबाई के दामाद दिलीप को मोतीनाला और खिरसारी के बीच रोड के किनारे छोटे से नाले के पास जगोतिनबाई की लाश पड़ी मिली थी। सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर गई थी। प्र.पी. 3 का नोटिस साक्षी को दिया था जिसपर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने शव पंचनामा प्र.पी. 4 का बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी के समक्ष घटनास्थल से सामान जप्त पुलिस ने नहीं किया था किंतु जप्ती पत्र प्र.पी. 8, प्र.पी. 9 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं।

18. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 के अंत में कथन किया है कि जगोतिनबाई को किसने मारा यह साक्षी को पता नहीं चला। सूचक प्रश्न के उत्तर में दिए गए सुझाव को इंकार किया है। प्र.पी. 8, प्र.पी. 9 के द्वारा जप्त संपत्ति को साक्षी के समक्ष जप्त करना इंकार किया है।

19. देवसिंग (अ.सा.6) ने साक्ष्य दी है कि जगोतिनबाई साक्षी की छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु कैसे हुई जानकारी नहीं है। सूचना पर वह घटनास्थल गया था तब जगोतिनबाई की लाश देखी थी। पुलिस

घटनास्थल पर आयी थी। घटनास्थल से जगोतिनबाई का कपड़ा, चप्पल, टूटी चूड़ी, सेमी का फल, घुईया, थोड़ा चावल जप्त कर जप्तीपत्र प्र.पी. 8, प्र.पी. 9 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर प्र.पी. 10 का नक्शा मौका बनाया था जिसपर साक्षी के हस्ताक्षर है। राजस्व निरीक्षक ने मौके पर आकर नजरीनक्शा प्र.पी. 5 एवं प्र.पी. 6 का बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस ने बयान लिये थे। जगोतिनबाई को किसने मारा जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 11 का ए से ए भाग का कथन “ दिनांक 18.01.16 — — — हत्या की है ” का पुलिस को देना इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 8, प्र.पी. 9 पर थाना गढ़ी में हस्ताक्षर किए थे। साक्षी के साथ वे घटनास्थल नहीं गये थे।

20. डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.7) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.01.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। पुलिस थाना गढ़ी के आरक्षक सुखमन क. 1018 के द्वारा मृतिका जगोतिनबाई पति स्वर्गीय बैजूसिंह धुर्वे उम्र 40 वर्ष निवासी मोतीनाला जिला मण्डला का शव, पोस्टमार्टम हेतु साक्षी के समक्ष उक्त दिनांक को लाया था। मृतिका की पहचान निंदू एवं मेहरसिंह ने की थी। महिला चिकित्सक डॉ. रश्मि बाघमारे के उपस्थित होने पर मृतिका का पोस्टमार्टम दिनांक 23.01.2016 को सुबह 10:15 बजे प्रारंभ किया था। बाह्य परीक्षण में शव सड़न की प्रारंभिक स्तर पर होना, शरीर की चमड़ी नीली पड़ जाना लेख है। पहने हुए कपड़े प्रापर वे में नहीं थे, पेट फूला हुआ था लेख किया है।

21. इसी साक्षी ने चोट क्रमांक 1 मृतिका के गले में बायीं ओर कंटूजन एवं एब्रेजन अलग अलग दिशा में 2 से ज्यादा 1/2 से.मी. गुणा 1/2

से.मी. आकार का कालापन लिए होना पाया था। जो दाहिने गले, दाहिने सीने के पास थे। चीरा लगाने पर सब मस्कूलर हेमरेज होना पाया था।

22. चोट क्रमांक मृत्तिका के उपरी ओठ पर $1/4$ गुणा $1/4$ से.मी. आकार का कंटूजन होना पाया था। मांसपेशियां कट गई थी। सूखा हुआ रक्त मुंह और दांत के बीच था। चोट क्रमांक 3 अभियोक्त्री के जननांग के बायीं ओर 1 इंच लम्बा कटा हुआ घाव था। उक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी। चोट क्रमांक 1 व 2 हाथ के पंजो से आ सकती है तथा चोट क्रमांक 3 कड़ी व धारदार वस्तु से आ सकती है, साक्ष्य दी है।

23. इसी साक्षी ने शव का आंतरिक परीक्षण करने पर पाया था कि खोपड़ी, कपाल, पर्दा, झिल्ली स्वस्थ थे। पर्दा, पसली, कोमसल, थाईराइड, कास्टलेस उनकी जगह से हट गये थे। कंठ श्वास नली में रक्तस्राव होना पाया था। मृत्तिका के दोनों फेफड़े सड़न की प्रारंभिक अवस्था में थे, हृदय में खून मौजूद था, आंतों की झिल्ली में गैस मौजूद थी। पेट में खाद्य पदार्थ मौजूद था तथा अल्कोहल की बू आ रही थी। छोटी आंत में तरल पदार्थ मौजूद था। बड़ी आंत में मल मौजूद था। यकृत, प्लीहा, गुर्दा सड़न की प्रारंभिक अवस्था में थे। बाहरी और भीतरी जननेंद्रियां में कटी हुई चोट थी, $1/3$ डायमीटर का पत्थर का टुकड़ा शव के प्रायवेट पार्ट में था। मृत्तिका के साड़ी, ब्लाउज प्रिजर्व किए थे। प्राइवेट पार्ट में पाए गए पत्थर के टुकड़े को प्रिजर्व किया गया था। वैजाइनल स्लाइड तैयार की गई थी। उक्त वस्तुएं सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दी थी।

24. साक्षी ने अभिमत के संबंध में साक्ष्य दी है कि साक्षी स्वयं और डॉ. रश्मि बाघमारे के मतानुसार मृत्तिका की मृत्यु दम घुटने से हुई थी जो कि स्टेगुलेशन (थ्रोटलिंग) से उत्पन्न स्वशनतंत्र में अवरोध के कारण थी। मृत्तिका

की मृत्यु परीक्षण पूर्व 3 से 5 दिवस के अंदर हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के बी से बी भाग पर डॉ. रश्मि बाघमारे के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि सड़न की प्रक्रिया मृत्यु के 48 घंटे बाद प्रारंभ हो जाती है। स्वतः कहा कि सड़न प्रक्रिया मौसम पर निर्भर करती थी। पोस्टमार्टम जनवरी माह में किया था। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि शव में मैग्नेट बनने के 12-24 घंटे के बाद चमड़ी गलने लगती है। यह स्वीकार किया है कि मृतिका के शरीर की चमड़ी गलने वाली अवस्था में नहीं था।

25. बिसरू (अ.सा.8) ने साक्ष्य दी है कि वह ग्राम मोतीनाला में थाने के बाजू में होटल में एक साल पहले चाय पी रहा था। वहाँ पर गढी थाना के पुलिस वाले आए थे उन्होंने किसी गांव का पता पूछा था। साक्षी पुलिस की गाड़ी में बैठकर साथ गया था। पुलिस को देखकर आरोपी धनसिंग भागने लगा था तथा पुलिस के पीछे छिपने लगा था तब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। उसे उसके घर ले गये थे। आरोपी ने कपड़ा दिखाकर कहा था कि उसने मृतिका के साथ बलात्कार किया है, उसका मर्डर किया है। उसके बाद उसे थाना मोतीनाला लेकर आए थे। साक्षी भी साथ आया था। थाना मोतीनाला में आरोपी से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 13 का लेख किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरोपी के पहने हुए कपड़े पुलिस ने जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 14 बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस ने लिखापढी मोतीनाला में की थी। मृतिका जगोतिनबाई साक्षी की सगी बुआ थी। आरोपी से जब पूछताछ की जा रही थी तब वह अभिरक्षा में था। आरोपी से काले रंग का पेंट पुलिस ने जप्त किया

था। प्र.पी. 13, प्र.पी. 14 के कागज कोरे थे तब साक्षी ने हस्ताक्षर किए थे उन पर पुलिस ने बाद में क्या लिखा उसे पढ़कर नहीं सुनाया।

26. श्रीमती सीमा कुशराम (अ.सा.9) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपी को नहीं जानती। मृतिका जगोतिनबाई को जानती है। सन् 2016 की एक साल पूर्व की बात है। साक्षी उसके ससुराल में थी। साक्षी के मायके के गांव के लोगों ने फोन पर साक्षी को बताया था कि साक्षी की मम्मी घर पर नहीं है। जानकारी लेकर 2-3 दिन बाद साक्षी मोतीनाला अपने पति के साथ आयी थी तब गांव के पड़ोसी लोगों ने बताया था कि साक्षी की मम्मी एक औरत के साथ गई है। साक्षी अपने पति के साथ दूढ़ने निकली, दूढ़ते-दूढ़ते जंगल तरफ गये तब नाली के पास साक्षी की मां की पहनी हुई साड़ी देखी, साड़ी पहचान ली। वहाँ पति के साथ गई थी। वहाँ पर साक्षी की मां मृत अवस्था में पड़ी थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहाँ पर गांव के लोग और रिश्तेदार आ गये। पुलिस ने बयान लिये थे। सूचक प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी. 15 का " दिनांक 18.01.2016 के शाम को — — — गला दबाकर मार डाला है " का ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिया था।

27. इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब उसकी मां के साथ घटना हुई थी तब साक्षी अपने ससुराल में थी। उसने प्र.पी. 15 का ए से ए भाग की बात गांव वालों के कहने पर बताई है। यह इंकार किया है कि अभियुक्त ने साक्षी की मां के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर गला दबाकर मार डाला है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी की मां को मारा था उसका नाम साक्षी को आज दिनांक तक मालूम नहीं है।

28. चैनसिंग धुर्वे (अ.सा.10) प्रधान आरक्षक ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 28.01.16 को आरक्षक पृथ्वीराज ने अपराध क्रमांक 7/2016 में

पन्नालाल, भरत की उपस्थिति में शासकीय अस्पताल बैहर से एक सीलबंद पैकेट में स्लाइड, मृत्तिका के कपड़े एवं पत्थर और सील नमूना लाकर पेश किया था, करने पर जप्ती तैयार की थी। जप्ती पत्र प्र.पी. 16 है जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में आए कथन को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

29. अशोक चौधरी (अ.सा.12) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.01.16 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ था। उक्त दिनांक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर के शासकीय अस्पताल से अभियुक्त की सिमन स्लाइड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर चिकित्सक द्वारा जप्त की गई थी, को प्राप्त कर थाना लाकर पेश की थी जिसकी जप्ती चैनसिंग ने कर प्र.पी. 26 का जप्तीपत्र बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग चैनसिंग के हस्ताक्षर है सी से सी भाग पर आरक्षक कमलेश के डी से डी भाग पर भारत परते के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि चिकित्सक ने सीलबंद संपत्ति नहीं दी थी। यह इंकार किया है कि साक्षी ने संपत्ति रास्ते में बदल दी थी।

30. निलेश परतेती (अ.सा.11) निरीक्षक/अन्वेषण अधिकारी के प्रक्रिया बाबद् कथन है जिन्हें लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

31. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

32. मामले में घटना बाबद् विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। जिन साक्षियों के कथन में घटना बाबद् सीधा कथन किया गया है उन्होंने प्रतिपरीक्षण में घटना देखना इंकार किया है। उन्हें अन्य लोगों ने बताया इसलिए कथन किया है। उन अन्य लोगों का नाम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं है और उनके कथन से ऐसे साक्षियों के कथन की पुष्टि नहीं है अर्थात्

प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है। मात्र लास्ट सीन स्टोरी का परिदृश्य देखा जावे तो वह भी स्पष्ट नहीं है कि संतरीबाई (अ.सा.4) के मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 व 2 में लेख साक्ष्य से मृतिका और अभियुक्त एक साथ गये थे। किसी स्थान से आगे पीछे प्रस्थान करना अंतिम दृश्य की श्रेणी में नहीं है।

33. अभिलेख पर एफ.एस.एल. सागर की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। जिसके अनुसार घटनास्थल से जप्त गमछा (इ), साड़ी (के-1), ब्लाउज (के-2) पर रक्त के धब्बे पाए जाने प्र.पी. 25 की रिपोर्ट में लेख है। इसी रिपोर्ट में जी-आरोपी की स्लाइड, आई-आरोपी की अंडरवियर संपत्ति पर मानव शुक्राणु पाया जाना लेख है किंतु संपत्ति-जे जो मृतिका की स्लाइड दिनांक 28.01.16 है, के परीक्षण में सिरम परीक्षण हेतु अपर्याप्त होना लेख होने से स्लाइड-जे पर वीर्य के धब्बे की साक्ष्य नहीं है। रक्त परीक्षण में संपत्ति इ, के-1, के-2, पर रक्त नमूना का ग्रुप-ए होना निष्कर्षित है। वहीं -बी घटनास्थल की मिट्टी, सी-पेटीकोट, डी-गमछा, एल-पत्थर (पुलिस के मामले के अनुसार शव के वैजाईना में पाया गया पत्थर 1/3 डायमीटर का) पर रक्त के धब्बे विघटित है इसलिए प्रजाति ज्ञात नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अभियुक्त से जप्त फुलपेंट प्र.पी. 25 के अनुसार अभियुक्त से जप्त पर रक्त पाया जाना लेख नहीं है।

34. इस प्रकार संपूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त धनसिंग मरकाम के विरुद्ध धारा 376 (1), 302, 376 (क), 376 (क) सहपठित धारा 201 भा.द.वि. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। बिसरु (अ.सा.8) चालक का कथन अभियुक्त की अपराध की संस्वीकृति के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

अभियोजन पक्ष आरोप प्रमाणित करने में दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर असफल रहा है।

35. अतः अभियुक्त धनसिंग मरकाम पिता लालसिंग मरकाम को धारा 376 (1), 302, 376 (क), 376 (क) सहपठित धारा 201 भा.द.वि. के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

36. अभियुक्त धनसिंग की गिरफ्तारी दिनांक 24.01.2016 की है। दिनांक 25.01.2016 को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया गया है तबसे आज दिनांक 21.02.2018 तक लगातार अभिरक्षा में रहा है उसकी कुल न्यायिक अभिरक्षा की अवधि **02 वर्ष 28 दिवस** है। धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र बनाया जावे।

37. मामले में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर